ICAR-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर

फा.क्र. प्रेस एवं मिडिया/पब्लिसिटी/2025 दिनांक 11.01.2025

प्रेस नोट: राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसन्धान संस्थान, इंदौर द्वारा "पौध किस्म संरक्षण में कृषक समुदाय के लिए कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की भूमिका" पर एक राष्ट्रिय राष्ट्रीय जागरूकता संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन.

केंद्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों की दिशा में, आईसीएआर-राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान (पूर्व में भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान) इंदौर की प्रौद्योगिकी प्रबंधन इकाई (आईटीएमयू) ने कृषि विज्ञान केंद्र, कस्तूरबाग्राम, इंदौर के सहयोग से 10 जनवरी, 2025 को हाइब्रिड मोड में "पौध किस्म संरक्षण में कृषक समुदाय के लिए कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की भूमिका" पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के पीपीवी एंड एफआर के रजिस्ट्रार जनरल डॉ दिनेश कुमार अग्रवाल ने अतिथि वक्ता के रूप में भाषण दिया। सत्र की अध्यक्षता आईसीएआर-एनएसआरआई, इंदौर के संस्थान निदेशक डॉ केएच सिंह ने की, जबकि आईटीएमयू, एनएसआरआई के नोडल अधिकारी डॉ एमपी शर्मा ने संयोजक और केवीके, कस्तूरबाग्राम, इंदौर के डॉ आरएस टेलर ने सह-संयोजक की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के प्रारंभ में एनएसआरआई द्वारा क्रियान्वित डीयूएस परियोजना के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रभारी डॉ. मृणाल कुचलन और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, इंदौर के डॉ. राहुल गजघाटे द्वारा सोयाबीन और गेहूं का डीयूएस परीक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

अतिथि वक्ता के भाषण से पहले, पौधों की किस्मों की सुरक्षा में पीपीवी और एफआर की भूमिका पर 15 मिनट की टेलीफिल्म दिखाई गई जिसको उपस्थित किसानों और राष्ट्रिय सोयाबीन अनुसन्धान संसथान के कर्मियों ने खूब सराहा। इसके बाद, डॉ. अग्रवाल ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें प्रतिभागियों को प्रासंगिक संधियों पर मार्गदर्शन दिया और पौधों की किस्मों की सुरक्षा में अधिनियम के महत्व के बारे में उन्हें जागरूक किया। उन्होंने अधिनियम के तहत लगभग 8300 पौधों की किस्मों के विश्व रिकॉर्ड संरक्षण पर प्रकाश डाला और इसके कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए चल रही पहलों पर चर्चा की।

अपने भाषण के दौरान, डॉ. अग्रवाल ने भारतीय कृषि में पौधों की किस्मों की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैसे भारत सरकार के “पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार अधिनियम” से उच्च उपज देने वाली किस्मों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने वाली पौधों की देशी किस्मों को किसानों के लिए संरक्षण अधिकार दिए जा सकते हैं। तत्पश्चात प्रश्नोत्तर संवाद सत्र के दौरान, उन्होंने बताया कि एक सामान्य किसान अपने खेत से चयनित पौधों के बीज को निश्चित प्रक्रिया (भिन्नता, एकरूपता एवं स्थिरता का परिक्षण) किस्म को संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन उसका यह प्रस्ताव अपने नजदीकी कृषि अनुसंधान केन्द्र के

प्रमुख द्वारा अपनी टिपण्णी सहित अग्रेषित कर आवेदन को PPV&FRA में प्रस्तुत किया जा सकेगा। डॉ अग्रवाल ने उपस्थितों के प्रश्नों को उत्तर देकर शंकाओं का निराकरण भी किया तथा उनको पूर्णतः सहयोग की बात कही। इस कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें इंदौर और उज्जैन जिलों के किसान, अधिकारी, वैज्ञानिक और पूरे भारत के शोधकर्ता शामिल थे, जो व्यक्तिगत रूप से और फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन भी शामिल हुए। सत्र के बाद, डॉ. के.एच. सिंह, निदेशक, आईआईएसआर, इंदौर ने डॉ. अग्रवाल के व्यापक प्रस्तुतीकरण और बहुमूल्य अंतर्दृष्टि के लिए उनका आभार और प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने स्वीकार किया कि साझा की गई जानकारी निश्चित रूप से किसानों और पौध प्रजनकों को उनके अधिकारों की रक्षा करने और विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगी। डॉ. सिंह ने किसानों को उनकी स्थानीय किस्मों की सुरक्षा में निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। डॉ. गिरिराज कुमावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक, एनएसआरआई, इंदौर द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद ज्ञापन के साथ सत्र का समापन हुआ।